

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह
सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समरत जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून दिनांक १२ अगस्त, 2008

विषय:- एल०पी०जी० की वितरण व्यवस्था सुचारू करने एवं घरेलू गैस के दुरुप्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही होगें कि गत वर्ष माह अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक एल०पी०जी० की आपूर्ति में कमी होने तथा घरेलू गैस का भारी मात्रा में व्यावसायिक उपयोग होने के कारण एल०पी०जी० की कमी अनुभव की गयी। शीतकाल एवं त्यौहार के मौसम को दृष्टिगत रखते हुये गैस की मांग प्रायः बढ़ जाती है। अतः ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर गैस की आपूर्ति तथा वितरण की नियमित समीक्षा किया जाना अपरिहार्य हो जाता है तथा घरेलू गैस की कालाबाजारी तथा उनके व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाये जाने हेतु लगातार प्रवर्तन कार्य किया जाना भी नितान्त आवश्यक है ताकि एल०पी०जी का कृत्रिम अभाव उत्पन्न न हो और उपगोक्ताओं को घरेलू गैस आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो सके तथा जन आकोश उत्पन्न न हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि एल०पी०जी० की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये, जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी, उप जिलाधिकारी नामित सदस्य होंगे। जनपद स्तर पर उक्त समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक त्रैमास में एक की जाय, जिसमें सभी गैस एजेन्सियों के प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित गैस कम्पनियों के प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित कर गैस आपूर्ति/वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर जिला पूर्ति अधिकारी तथा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स टीमों का गठन किया जाय। टॉस्क फोर्स के सदस्यों द्वारा गैस की आपूर्ति एवं वितरण संबंधी प्रवर्तन कार्य किया जाय। घरेलू गैस की

प्रतिनिधि वितरण
प्रबंधन एवं नियम
कालाबाजारी

12/08/08
12/08/08

शतप्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने व घटतोली की शिकायतें दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग रोकने हेतु, गैस एजेन्सियों की जांच एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच गठित टॉस्क फोर्स टीमों द्वारा निरन्तर की जाय। गैस की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था तथा प्रवर्तन कार्य की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल रत्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा मासिक स्टाफ बैठक में अनिवार्यतः की जाय।

आपसे यह भी अनुरोध है कि एल०पी०जी० से सम्बन्धित मासिक सूचना निर्धारित प्रारूप— 1 (क), 1 (ख) तथा 2 (क), 2 (ख) पर व प्रवर्तन कार्य की मासिक सूचना नियमित रूप से आयुक्त कार्यालय भेजी जाय।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ रणबीर सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समरत जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्री आर०के०पाण्डे, ऐरिया मैनेजर, एल.पी.जी. आई०ओ०सी० देहरादून।
3. श्री मनोज कुमार, ऐरिया मैनेजर, एल.पी.जी., बी०पी०सी० देहरादून।
4. श्री जयप्रकाश, सीनियर सैल्स ऑफीसर, एल०पी०जी० एच०पी०सी० गाजियाबाद।
5. श्री के० मुखर्जी, उप प्रबन्धक, एल०पी०जी०, आई०ओ०सी० बरेली।
6. श्री आर०के०सिन्हा, राज्य स्तरीय समन्वयक, आई०ओ०सी० देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, कुमायू मण्डल विकास निगम नैनीताल।
8. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम देहरादून।
9. आयुक्त कुमायू मण्डल / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी गढ़वाल।
10. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उत्तराखण्ड देहरादून।

✓
(कुवर सिंह)

अपर सचिव